



कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)
Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfo-katghora.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./2018/ 3782
प्रति,

कटघोरा, दिनांक 24-5-18

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास,
कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)

विषय : दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी हेतु 4.34 हे. वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव बाबत। पंजीयन क्रमांक -FP/CG/SCH/33063/2018
संदर्भ : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर का पत्र क्र. 1559 दि. 23.05.18

— ::000:: —

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा द्वारा दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी रकबा 4.34 हे. व्यपवर्तन प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर द्वारा 05 बिंदुओं की आपत्ति उठाई गई है।

अतः वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उठाई गई 05 बिंदुओं की आपत्ति में से बिंदु क्र. 04 एवं 05 की जानकारी तैयार कर EDS के माध्यम से ऑन लाईन अपलोड उपरांत वनमंडल कटघोरा की ओर ऑन लाईन प्रेषित करे, साथ ही जानकारी की हार्ड कॉपी इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित की जा सके।

संलग्न: संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

क्रमांक/तक.अधि./2018/ 3783

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा
कटघोरा, दिनांक 24-5-18

प्रतिलिपि

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर कोरबा जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-728/ 1555

रायपुर, दिनांक 23/05/2018

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
कटघोरा वन मंडल, कटघोरा
छत्तीसगढ़

- विषय:** - Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed diversion of forest land for village Shyahimundi Block-Katghora, District Korba, CG. Reg.
- Registration No. FP/CG/SCH/33063/2018
- संदर्भ:** - मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक.अधि/ 852 दिनांक 10.05.2018
= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्न कमियां पाई गई हैं:-

1. मुख्य वन संरक्षण, बिलासपुर वृत्त द्वारा प्रेषित 27 बिन्दु के चेक लिस्ट में मुख्य वन संरक्षक का हस्ताक्षर नहीं है।
2. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र पृष्ठ क्रमांक 26 में वृक्षों की संख्या निरंक लेख किया गया है परन्तु वन मंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण एवं आन लाईन 25 वृक्षों की संख्या प्रदर्शित हो रही है।
3. मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा फार्म-ए पार्ट-3 अपलोड नहीं किया गया है एवं Recommendation Letter ही अपलोड किया गया है।
4. कलेक्टर कार्यालय द्वारा एफ.आर.ए अपलोड नहीं किया गया है।
5. आवेदित क्षेत्र का ले आउट प्लान संलग्न नहीं है।

उक्त कमियों के कारण प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतएव उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर तत्काल अवगत करावें ताकि प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही किया जा सके।

(एस. एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/ व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-728/ 1560

रायपुर, दिनांक 23/05/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, जिला कोरबा

(एस. एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/ व.सं.अ)
छत्तीसगढ़